मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-3-15/2014/1/3 भोपाल दिनांक 04 जुलाई, 2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश।

विषय:- शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा/नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सूचना प्रोद्योगिकी/कम्प्युटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु कम्प्युटर दक्षता प्रमाणीकरण के संबंध में।

सन्दर्भ:-इस विभाग का पत्र क्रमांक सी-3-15/2014/1-3, दिनांक 24.01.2017

सन्दर्भित परिपत्र दिनांक 24.01.2017 द्वारा कम्प्युटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (COMPUTER PROFICIENCY CERTIFICATION TEST- CPCT) में इंगलिश टायपिंग की न्यूनतम गति 30 शब्द प्रति मिनिट एवं हिन्दी टायपिंग की न्यूनतम गति 20 शब्द प्रति मिनिट निर्धारित की गई है।

2/ उक्त निर्देशो से यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि सहायक ग्रेड-3 अथवा समकक्ष पदों के लिए CPCT में अंग्रेजी एवं हिन्दी टायपिंग में Qualified होना आवश्यक है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा सहायक ग्रेड-3 एवं समकक्ष पदों के लिए हिन्दी टायपिंग अनिवार्य किया गया है, किन्तु अंग्रेजी टायपिंग नहीं। इसलिए सहायक ग्रेड-3

निरन्तर.....2

अथवा समकक्ष पदों के लिए CPCT परीक्षा में हिन्दी टायपिंग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है अंग्रेजी नहीं। इसलिए यदि CPCT परीक्षा में कोई अभ्यर्थी अंग्रेजी टायपिंग में Not Qualified रहता है तो वह राज्य शासन में सहायक ग्रेड-3 व अन्य समकक्ष पद के लिए अनर्ह नहीं होगा, जो अभ्यर्थी अंग्रेजी टायपिंग में Qualified है तो उसे अतिरिक्त योग्यता में माना जा सकता है। किन्तु यदि किसी पद के लिए अंग्रेजी टायपिंग आवश्यक है तो उसके लिए अंग्रेजी कम्प्युटर टायपिंग की अनिवार्यता रहेगी।

(सी.बी.पड़वार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक सी-3-15/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई, 2018

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल।
2. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर।
4. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्य मंत्री कार्यालय, म.प्र.।
5. मान. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल।
7. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
8. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।
9. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण), मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
10. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल।
12. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन, भोपाल।
13. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल।

....3